ताज महोत्सव – 2012

–: स्टालों का आवंटन एकाधिकार :–

ताज महोत्सव समिति द्वारा दिनांक 16 से 25 मार्च, 2012 तक आयोजित होने वाले ताज महोत्सव में निम्नलिखित खाद्य पदार्थो की बिक्री हेतु ˙ स्टालों का अस्थाई आवंटन एकाधिकार के माध्यम् प्रदान किया जाना हैः–

* शीतल पेय (बन्द बोतल)	* नारियल पानी
* पापकार्न / कैण्डी	* आइसक्रीम
* मिनरल वाटर	* भेलपुरी एवं पानी की टिकिया

1– आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र/प्रस्ताव के साथ रूपये 20,000/त्र की धरोहर धनराशि ''**सचिव ताज महोत्सव समिति आगरा** '' के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप संलग्न करना अनिवार्य है । धरोहर धनराशि के बिना किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2– आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र में दरों का एकमुश्त उच्चतम उद्धरण/राशि अंकित किया जायेगा। दिनांक 10–02–2012 अपरान्ह 2.00 बजे तक आवेदकों से सीलबन्द प्रस्ताव लिफाफे में प्राप्त किए जायेगें और उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे खोले जायेगें। इच्छुक आवेदक यदि उपस्थित रहना चाहें, तो वह प्रस्ताव खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं ।

3– आवेदक द्वारा जिस वस्तु की बिक्री हेतु एकाधिकार की मॉग की जा रही है ,वह लिफाफे पर साफ–साफ मोटे अक्षरों पर लिखा जाना आवश्यक है ।

4– आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ अनुभव अथवा फर्म का प्रमाण–पत्र लगाना होगा ।

5– स्टाल केवल उन्हीं संस्थानों को दिए जायेगें, जिनका आवेदित व्यवसाय में पूर्ण अनुभव हो और वह उक्त विशेष व्यवसाय से जुड़े हों । इसका प्रमाण भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

6– निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

7– प्रस्तावों में निर्धारित की गई अर्हताओं एवं शर्तो को पूर्ण ना करने वाले प्रस्ताव स्वीकर नहीं किए जायेगें ।

8– ताज महोत्सव समिति को एक अथवा समस्त प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

सचिव
ताज महोत्सव समिति,
आगरा ।